न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 51/2016 (राजसमन्द डिक्री)

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये अधिकृत प्रतिनिधि वार्ड पंच सोहनलाल मेवाडा, निवासी भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2. आम जनता राजस्व ग्राम नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द जरिये :–

2/1. भंवरसिंह पुत्र श्री चमनसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. भेरूसिंह पुत्र श्री दूदसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. कुशालसिंह पुत्र श्री उदयसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. नारायणसिंह पुत्र श्री भादुसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. उदयसिंह पुत्र श्री अमरसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. चेनसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/7. पूनमसिंह पुत्र श्री विक्रमसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/8. चेनसिंह पुत्र श्री वरदसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/9. खेतसिंह पुत्र श्री डाऊसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/10. प्यारसिंह पुत्र श्री तेजसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/11. मदनसिंह पुत्र श्री देवीसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2/12. भगवानसिंह पुत्र श्री खिमसिंह रावत, निवासी नेडी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पेमा पिता मंदरूप जी गाडोलिया लोहार, निवासी पाटिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 08.01.2016, प्र. सं. 64/15

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पो. स. 1
3— श्री पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 15—11—2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा सरकार के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीम में खसरा नंबर 14921 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि वादी को दिनांक 21—01—1975 को साबिक आराजी नंबर 12333 में से 2 बीघा 10 बिस्वा आवंटित की गयी थी एवं आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08—08—1975 को मौके पर मौतबीरों की उपस्थिति में नये बन्दोबस्त के नये नक्शे अुनसार खसरा नंबर 14921 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा सिपुर्द किया गया। उक्त आवंटन नक्शे में आराजी नंबर 1737/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा तरमीम कर दी गयी, जिसकी पालना रिपोर्ट इसी दिनांक को तत्कालीन पटवारी द्वारा तहसीलदार भीम को भेज दी गयी तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 22—09—1975 को उक्त मूल पालना रिपोर्ट तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवा दी गयी। वादी आवंटन दिनांक 08—08—1975 से निरस्तर काबिज चला आ रहा है, परन्तु यह भूमि वर्तमान में चारागाह दर्ज हो गयी है। अतएवं विवादित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलाये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कब्जा सिपुर्दगी रिपोर्ट दिनांक 22—09—1975 में पटवारी द्वारा यह अंकित किया गया कि उक्त भूमि नवीन सेटलमेन्ट में

चारागाह दर्ज हो चुकी है तथा भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। चारागाह भूमि पर किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा मान्य नहीं होता है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वाद व जवाबदावे के बाद प्रकरण में दिनांक 9–12–2015 को दिनांक 08–01–2016 के लिए पेशी तय की एवं दिनांक 08–01–2016 को वादी की एकतरफा बहस सुनकर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 19–09–2016 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य सबूत के वादी/विपक्षी संख्या 1 को विवादित चारागाह भूमि का खातेदार घोषित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 29–07–2016 को हुई जब विपक्षी ने चरनोट भूमि पर आकर ग्रामवासियों से कहा कि उक्त जमीन मेरे खाते हो चुकी है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उपरोक्त आवेदन के खण्डन में रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री सही जारी की गयी है। राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम सिवायचक दर्ज थी इस कारण आवंटित की गयी। विपक्षी ने इस भूमि को आबाद किया है तथा भूमि विक्रय भी कर दी है, जिसके नामान्तरकरण पंचायत द्वारा मई व जून 2016 में तस्दीक किये गये। अपीलान्ट द्वारा देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता दीवानी पर उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा उन्हें निर्णय की जानकारी होने का कोई ठोस आधार नहीं है। जहां तक नामान्तरकरणों को तस्दीक करने का प्रश्न है वह इस कार्यवाही से सुसंगत नहीं हैं एवं उक्त नामान्तरकरणों की नकल भी विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं उन्हें निर्णय की जानकारी होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतएवं मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि चारागाह भूमि है जो पंचायत में वेस्ट होती है। विपक्षी ने जानबूझकर पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया है, केवल मात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाकर डिक्री प्राप्त कर ली है, जबकि चारागाह भूमि का उपयोग उपभोग ग्राम पंचायत व पंचायत द्वारा किया जा रहा है एवं प्रार्थीगण इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अतएवं उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे। ताईद में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 220 प्रस्तुत की, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि के चारागाह होने पर पंचायत आवश्यक पक्षकार है।

स्पष्टया इस प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी द्वारा दफा 96 जा.दी. के खण्डन का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु दौराने बहस पंचायत को इस प्रकार की अधिकृता नहीं होने ग्राम पंचायत की जगह वार्ड पंच द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

→ प्रकरण में ग्राम पंचायत भीम के सरपंच जो कि ग्राम पंचायत की भूमियों का मुखिया एवं कार्यकारी अधिकारी होता है, उसके द्वारा इस भूमि के लिए पंच श्री सोहनलाल देवड़ा को अधिकृत किया गया है। हम यह पाते हैं कि चूंकि विवादित भूमि के सन्दर्भ में पेश शुदा न्यायिक नजीर अनुसार पंचायत आवश्यक पक्षकार है तथा दावा दायरी के दिन पंचायत आवश्यक पक्षकार थी, परन्तु वादी द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य रेकार्ड पर होने के बावजूद उसे सुनवाई का अवसर दिया गया है। अतएवं अपीलान्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए

अपास्त करने की प्रार्थना की। राजकीय अभिभाषक ने भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य सबूत का अवलोकन किये वादी/रेस्पोन्डेन्ट के कथनों को सही मानकर वाद डिक्री कर दिया, जबकि भूमि चारागाह होने से उसकी खातेदारी किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। प्रकरण में तहसीलदार के खण्डन का जवाबदावा होने के बावजूद किसी प्रकार की तनकियात कायम नहीं की गयी है। भूमि चारागाह होने से ग्राम पंचातय भी आवश्यक पक्षकार है जिसे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने एकपक्षीय निर्णय कर दिया गया है जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है। भूमि सार्वजनिक महत्व की होकर गांव के पशुओं की चराई के काम आ रही है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा उसके बाद जो विक्रय हुए हैं वह भी अवैध होने से प्रभाव शून्य होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दायरी के समय स्पष्टया भूमि चारागाह होने का तथ्य मौजूद था, परन्तु वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में मात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया, पंचायत भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार के खण्डन का जवाबदावा उपलब्ध था इसके बावजूद भी किसी प्रकार की तनकियात कायम नहीं की गयी हैं एवं यकायक वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर वाद डिक्री दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। यदि पश्चातवर्ती कोई विक्रय किया गया है तो भी क्रेता का अधिकार वादी/रेस्पोन्डेन्ट विक्रेता के अधिकार से ज्यादा नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में हम यह पाते हैं कि प्रकरण में

अपीलान्ट भी आवश्यक पक्षकार है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा तहसीलदार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी कर दी गयी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 08–01–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पंचायत को प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा उसे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं तहसीलदार को भी सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर प्रकरण में अजसरेनव निर्णय पारित करें।

प्रकरण में ज्ञातव्य हो कि भूमि राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्ट से चारागाह दर्ज की गयी है। अतएवं प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15–01–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

पूरणसिंह पिता गणेशसिंह जी रावत, निवासी नालोई, लालपुरा–बिगड़ातों का घाड़िया, तह.भीम, जि.राजसमन्द

बनाम

सोहनसिंह रावत मृतक के बजाय कल्याणसिंह पुत्र स्व. सोहनसिंह नि0 नालोई, लालपुरा–बिगड़ातों का घाड़िया, तहसील भीम व अन्य

अपील नं.....**164 / 2010**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीम**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....28**.....माह.....**06**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**03**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री कृष्णसिंह चौहान**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मदनसिंह चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**03**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।